फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण 148/25 किशन सिंह बनाम मालीराम

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07/1/26	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र. उप. पत्रावली वास्ते इन्तजार कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु 23/1/26 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	तहरीर जारी 49 07/1/26
23/1/26	पत्रावली पेश हुई। डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. ... द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4/2/2026 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	(कुर्रेजात प्राप्त 29.01.2026)
4/02/26	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र. उप.। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अतः आ.ता. पेशी पर उभय पक्ष कुर्रेजात पर बहस करें। पत्रावली दिनांक 6/2/2026 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
6/2/2026	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। बहस कुर्रेजात सुनी गई। कोई आपत्ति नहीं है अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली ... शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 148/2025

वाद प्रस्तुति दिनांक –04.09.2025

1. किशन सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान
2. पूजा नरूका पत्नी किशन सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान
3. महिपाल सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान
4. रीना कुमारी पत्नी राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान
5. संतोष कंवर पत्नी राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र सुवादास जाति स्वामी निवासी ग्राम सिरसी, तहसील जालसू, जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील जालसू, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक, तहसील जालसू, जिला जयपुर

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति :–

(1) श्री मुकेश चन्द मीणा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:00 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 06.02.2026

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम सिरसी पटवार हल्का राधाकिशनपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात कृषि भूमि खाता संख्या नया 130 पुराना 87 के हाल खसरा न. 212 रकबा 0.1600 है, खसरा न. 213 रकबा 0.0100 है., खसरा न. 466/214 रकबा 4.6150 है. कुल किता 3 का कुल रकबा 4.7850 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण का हिस्सा

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

क्रमशं 843/15950–843/15950 व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान जमावंदी संवत् 2073–2076 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित है, इस प्रकार उक्त भूमि पर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। यह कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 सहकाश्तकार है, तथा मनबठ के आधार पर वादीगण अपने हिस्से पर पुख्ता तारबन्दी कर काबिज काश्त है, प्रतिवादी संख्या 1 पहले तो मनबठ के आधार व कब्जे काश्त के आधार पर रास्ता देते हुए विधिक विभाजन के लिये हामी भरते रहे लेकिन अब इनके मन में खोट आ जाने के कारण एंव वादीगण को परेशान करने की गरज से बिना विधिवत तकासमा करवाये ही भूमि का बैचान कर रहे है, वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि न्यायालय हाजा वाके ग्राम सिरसी पटवार हल्का राधाकिशनपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात कृषि भूमि खाता संख्या नया 130 पुराना 87 के हाल खसरा न. 212 रकबा 0.1600 है, खसरा न. 213 रकबा 0.0100 है. खसरा न. 466/214 रकबा 4.6150 है, कुल किता 3 का कुल रकबा 4.7850 हैक्टेयर भूमि का मनबठ के आधार पर एवं कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए एवं रास्ता देते हुए विधिवत् रूप से विभाजन किया जाकर अलग अलग खाता व लगान कायम किया जावे एंव राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करवाया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 17.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा वादी की एकपक्षीय बहस प्राथमिक डिक्री पर सुनी गई वाद कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तथा तहसीलदार जालसू जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वाके ग्राम सिरसी पटवार हल्का राधांकिशनपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में भूमि कृषि भूमि खाता संख्या नया 130 पुराना 87 के हाल खसरा न. 212 रकबा 0.1600 है, खसरा न. 213 रकबा 0.0100 है, खसरा न. 466/214 रकबा 4.6150 है, कुल किता 3 का कुल रकबा 4.7850 हैक्टेयर का रा[illegible] रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना कर उभयपक्ष के समान हिस्सेनुसार, उभयपक्ष [illegible] नोटिस देकर कुर्रेजात प्रस्ताव भिजवाने हेतू निर्देशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:00 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/206 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की। प्रस्तुत तर्को के आधार पर वाद तद्नुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दोनों दावो को निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

प्रकरण संख्या – 148/2025
बउनवानी – किशनसिंह बनाम मालीराम वगै0
निर्णय दिनांक :– 06.02.2026

1. किशनसिंह पुत्र रामसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत, पूजा नरूका पत्नि किशनसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत, महिपाल सिंह पुत्र रामसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत, रीना कुमारी पत्नि महिपाल सिंह हि. 1/5 जाति राजपूत, संतोष कंवर पत्नि रामसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 466/214/1 रकबा 1.2645 है कुल किता 1 कुल रकबा 1.2645 है. भूमि रहेगी।
2. मालीराम पुत्र सुवादास हि. पूर्ण जाति स्वामी शेष इन्द्राज जमाबंदी सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 212 रकबा 0.1600 है, खसरा नंबर 213 रकबा 0.0100 है खसरा नंबर 466/214 रकबा 3.3505 ह कुल किता 3 कुल रकबा 3.5205 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 148/2025 वाद प्रस्तुति दिनांक –04.09.2025

1. किशन सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान
2. पूजा नरूका पत्नी किशन सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान
3. महिपाल सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान
4. रीना कुमारी पत्नी राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान
5. संतोष कंवर पत्नी राम सिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67, शिवा नगर–4, माचडा, जिला जयपुर राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. मालीराम पुत्र सुवादास जाति स्वामी निवासी ग्राम सिरसी, तहसील जालसू, जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील जालसू, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक, तहसील जालसू, जिला जयपुर

.....प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कार्यवाही रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. किशनसिंह पुत्र रामसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत, पूजा नरूका पत्नि किशनसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत, महिपाल सिंह पुत्र रामसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत, रीना कुमारी पत्नि महिपाल सिंह हि. 1/5 जाति राजपूत, संतोष कंवर पत्नि रामसिंह हि. 1/5 जाति राजपूत सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 466/214/1 रकबा 1.2645 है कुल किता 1 कुल रकबा 1.2645 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

2. मालीराम पुत्र सुवादास हि. पूर्ण जाति स्वामी शेष इन्द्राज जमाबंदी सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 212 रकबा 0.1600 है, खसरा नंबर 213 रकबा 0.0100 है खसरा नंबर 466/214 रकबा 3.3505 ह कुल किता 3 कुल रकबा 3.5205 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2026 को जारी किया।

दस्तखत––––
ओहदा––––

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:00 IST
Reason: SelfAttested